

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं० :- 49/2012

(225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. हरसहाय पुत्र बुद्धा जाति धीवर निवासी ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज०)

बनाम

..... अपीलाण्ट

1. विजय पुत्र मूला जाति धीवर,
2. लक्ष्मण पुत्र मूला जाति धीवर,
3. रतन पुत्र मूला जाति धीवर,
4. कौशल्या स्त्री मूला जाति धीवर निवासीयान ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज०)
5. बिमला पुत्री मूला जाति धीवर निवासी ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज०)
6. प्रेम पुत्री मूला जाति धीवर निवासी ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज०)
7. गुड्डी पुत्री मूला स्त्री अमरसिंह जाति धीवर निवासी ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज०)

.....रेस्पोंडेण्टस

उपस्थित :-

1. श्री गोविन्द राम यादव, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री संचिन खत्री, अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट।

∴ निर्णय ∴

दिनांक :- 25.08.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के प्रार्थना पत्र 2/130 उनवान हरसहाय बनाम विजय के निर्णय दिनांक 27.03.12 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा

नम्बर 1510 रकबा 68 ऐयर जिसका साबिक नं. 798 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम जातपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को बहिस्से बराबर पट्टे पर कस्टोडियन विभाग से मिली और ताल्लुकात अच्छे रहने के कारण अप्रार्थीगण के ही नाम पट्टा जारी करा दिया व कागजात माल में इन्द्राज होता रहा वैसे इस आराजी में बहिस्से बराबर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण अरसे दराज से बहैसियत काबिज काशतकार के काशत करते चले आ रहे है और काबिज है, और लगान अदा करते चले आ रहे हैं। इस आराजी में मिन प्रार्थी ने बोरिंग भी अपने खर्चे से लगाया हुआ है और आठ होर्स पॉवर का इंजन भी लगाया हुआ है इस आराजी में मिन प्रार्थी ने जो फसल बोई थी वो काट ली और अब आगामी फसल को बोने की तैयारी चल रही है। इस प्रकार इस आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण मुशतर्का में बहिस्से बराबर बहैसियत काबिज काशतकार के काबिज है और प्रार्थी का 1/2 भाग है और अप्रार्थीगण का 1/2 भाग है जो मुशतर्का में है जो आराजी दावे व दरखास्त हाजा में विवादित भूमि है। बख्याल दूर अन्देशी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के हक में प्रार्थी का 1/2 भाग आराजी विवादित में काबिज काशतकार होने की बाबत एक प्रलेख पत्र भी दिनांक 31.07.86 को प्रार्थी के हक में मूला ने तहरीर व तकमील कराया हुआ है। अब कुछ दिनों से अप्रार्थीगण के दिल में बदयान्ति आ गई है और उन्होने दिनांक 25.06.11 को जब मिन प्रार्थी विवादित आराजी में अपने 1/2 हिस्से में आगामी फसल बो रहा था तो प्रार्थी के कब्जे काशत में मजाहमत की तथा सालिम आराजी पर जबरन कब्जा करने को उतारु हो गये और प्रार्थी का 1/2 भाग मानने से भी इन्कार हो गये। प्रार्थी द्वारा तहत अदालत से निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जर्य अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त विवादित आराजी में गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी के 1/2 हिस्से मुशतर्का कब्जे काशत में किसी किसम की रूकावट व मजाहमत ने करे व प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर सालिम आराजी पर अपना जबरन कब्जा न करे।

मातहत अदालत में रेस्पोजेण्टस/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी मिन अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काशत खातेदारी की आराजी है जो आराजी मृतक मूला की आवंटितशुदा आराजी है जिसकी कर्जा कीमत अदा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है तथा मूला की मृत्यु की पश्चात विरासत इन्तकाल बाद जांच मिन अप्रार्थीगण के हक में दर्ज वो स्वीकृत किया गया है जिस पर मिन अप्रार्थीगण काबिज होकर काशत करते चले आ रहे है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मातहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा दिनांक 27.03.12 को आदेश दिया गया कि "अस्थाई निषेधाज्ञा की आवश्यक तीनों शर्तें प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।" अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत ने इकरारनामें के आधार पर सन् 1986 से कब्जा साबित होने के आधार पर एडवर्ड पजेशन के आधार पर प्रार्थी अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने बाबत टिप्पणी विधि विरुद्ध की है। अगर रेस्पोजेण्टान अप्रार्थीगण ने प्रार्थी अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तथा विवादित आराजी का दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया तो प्रार्थी अपीलाण्ट का दावा ही

बेसूद हो जायेगा और अपीलाण्ट को नापूर्ति होने वाली क्षति भी होगी, जिस पर मातहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निर्णय दिनांक 27.03.12 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोजेन्टान को जर्जे अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला पाबन्द फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र तथा अपील के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि गलत निर्णय की आड में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की खुली अवहेलना हुई और अपीलाण्ट के साथ न्याय नहीं हुआ है। अपीलाण्ट विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर मौके पर काबिज है। मातहत अदालत को प्रलेख पत्र दिनांक 31.07.86 को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए था ऐसा ना कर तहत अदालत ने कानूनी भूल की है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है जिसे अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने कथन किया कि सांबिक बन्दोबस्त 2020 के खसरा नं. 400, 431, व 465 बहुत बडा रकबा था, जिसमें से 18 बीघा अपीलाण्ट के पिता तथा 6 बीघा रेस्पोजेन्टान सं० 1 ला० 7 के पिता वो पति मृतक मूला को आवंटित हुई, जिसके गत बन्दोबस्त नम्बर 798 व 806 कायम हुए हैं तथा जिनके हाल खसरा नम्बर 1547 व 1510 है जो मृतक मूला से सम्बन्धित है। आवंटन के समय हरसहाय व भौरा का जन्म नहीं हुआ था, ऐसी सूरत में अपीलाण्ट और मृतक मूला के सम्मिलित रूप से काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विवादित आराजी रेस्पोजेन्ट की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो मृतक मूला को आवंटितशुदा है जिसकी कीमत अदा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किए हैं। मूला की मृत्यु के पश्चात विरासत इन्तकाल बाद जांच रेस्पोजेन्ट के हक में दर्ज तथा स्वीकृत है। अतः अपील अपीलाण्ट सव्यय खारिज की जावें।

अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आदेश दिनांक 27.03.12 का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया।

अपील मीमों के बिन्दु संख्या 2 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलाण्ट इकरारनामा दिनांक 31.07.86 को आधार बनाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है तथा रेस्पोजेन्ट को जर्जे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाना चाहता है, जबकि जमाबन्दी ग्राम जातपुर सम्वत् 2065-68 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 7 खसरा नं. 1510 रकबा 0.68 के गैरखातेदार (कस्टोडियन) हैं।

माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर तथा उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि इकरारनामों को कभी भी राजस्व रिकॉर्ड पर वरियता प्रदान नहीं की जा सकती है। राजस्व रिकॉर्ड रेस्पोजेन्टगण के पक्ष में साबित हैं, अतः उनके विरुद्ध स्थगन के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ का निर्णय दिनांक 27.03.12 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

बउनवान हरसहाय बनाम विजय व अन्य
अपील सं० 49/2012

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर